कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14( ) एफ.सी.ए. / उवसं / 2021 / 126 दिनांकः– 06-01-22

निमित्त,
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय :– Mahi Banswara Atomic power project (MBRAPP)- 1 to 4 की स्थापना हेतु 100.07 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन बाबत् (FP/RJ/Others/22621/2016)
सन्दर्भः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हॉफ, राजस्थान, जयपुर EDS Dated 16.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में सन्दर्भित EDS Dated 16-12-2021 के क्रम में यूज़र एजेन्सी के पत्रांक 319 दिनांक 30.12.2021 (प्रति संलग्न) के अनुसार बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :–

1- The CA scheme given for 200.10 ha. DFL is amount 29546000, while detailed estimate is given for amount 32281000, which is contradictory.
प्रत्युत्तर– पुर्व में प्राप्त निर्देशानुसार प्रति हैक्टेयर 1000 पौधों के हिसाब से वृक्षारोपण करवाने के लिये रेन्ज घाटोल में 200.10 हैक्टेयर एवं रेन्ज बांसवाड़ा में 86.00 हैक्टेयर परिभ्रांषित वन भूमि चिन्हित की गई है। उक्तानुसार चिन्हित की गई 200.10 हैक्टेयर एवं 86.00 हैक्टेयर परिभ्रांषित वन भूमि कि पृथक–पृथक CA scheme वर्तमान श्रमिक दरों के अनुरूप तैयार कर संलग्न की गई है। तदनुसार कुल 286.10 हैक्टेयर वन भूमि में वृक्षारोपण की कुल लागत रू. 461,60,118 / – होती है तदनुसार प्रस्ताव के पार्ट–I में संशोधन कर दिया गया है।

2- In part I, employment generation is for 1700, but uploaded document is contradictory.
प्रत्युत्तर– उक्त परियोजना में स्थायी / नियमित रुप से नियोजित किये जाने वाले 1700 व्यक्तियों का विस्तृत विवरण Additional Documents के Section में अपलोड कर दिया गया है, इसकी Hard Copy 5 प्रतियों में संलग्न प्रस्तुत है। विरोधाभासी दस्तावेजों को हटा लिया गया है।

3- In tree enumeration report, still it is not clear that how many trees are to be cut and how many are to be pruned.
प्रत्युत्तर– उक्त परियोजना के निर्माण में वास्तव में पातन करवाये वृक्षों को चिन्हित करवा लिया गया है। तदनुसार पातन करवाये जाने वाले कुल 2910 वृक्षों की सूची तैयार कर Additional Documents के Section में अपलोड कर दी गई है, इसकी Hard Copy 5 प्रतियों में संलग्न प्रस्तुत है। इसके अलावा अन्य और कोई भी वृक्ष पातन अथवा छंगाई करवाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

4- Many Documents uploaded in PART II by DCF are related to User agency. So these documents should be uploaded by user agency in PART I and DCF has to remove them.
प्रत्युत्तर– यूज़र एजेन्सी से सम्बन्धित दस्तावेज जो की उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा के स्तर से पार्ट–I में अपलोड किये गये थे, उनको यूज़र एजेन्सी के स्तर से पार्ट–I में Additional Documents के Section में अपलोड कर दिया गया है एवं पार्ट–II से इस कार्यालय द्वारा हटा लिया गया है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

क्रमशः 2 पर

क्रमांक प. 14( ) एफ.सी.ए. / उवसं / 2021 / दिनांकः–

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –</u>

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, माही बांसवाडा, राजस्थान, एटोमिक पावर प्रोजेक्ट, NPCIL, बांसवाडा।

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

D:\FCA\Mayank\NPCIL\NPCIL.docx